

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- डॉ० हरीतिमा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 125/15

श्यामलाल पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 18 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
2. नगरपालिका सूरतगढ़, जरिये अधिशाषी अधिकारी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता नगरपालिका, सूरतगढ़
3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 11.11.2021

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.06.2006 जिसके द्वारा अपीलांत का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 442 का 5.060 है० टी.सी. आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2006 अपीलांत को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर अपीलांत के 40 वर्ष पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलांत को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त सन 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत सन 1970-71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर संवत् 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा जिसकी संलग्न रसीदे पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.06.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर अपीलांत का रकबा खारिज फरमा दिया गया व रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नहीं लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना अपीलांत को नहीं दी। मातहत न्यायालय ने अपीलांत का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांत का उक्त रकबा 8 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांत का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काशत को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांत का उक्त आवंटन समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा अपीलांत का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांत ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काशत बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को मेरा उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काशत में चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्धति तथा प्रणाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ जिला-श्री गंगानगर

राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांत उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश निर्णय की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेन्ड प्रफॉर्मा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। उक्त निर्णय साइक्लोस्टाईल निर्णय की परिभाषा में आता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2006 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा पक्षकार बनने हेतु दिनांक 28.02.2020 को जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया तथा दिनांक 09.11.2020 को जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलांत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है।
4. नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 28.02.2020 को जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपील में वर्णित रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित हो चुका है व नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा इस रकबा में आबादी का विस्तार किया गया है व सड़के बनवाई गई है। अपीलांत का उक्त रकबा सूरतगढ़ पैराफेरी क्षेत्र में आने से टी.सी. आवंटन खारिज होने के बाद जब रकबा नगरपालिका को हस्तांतरण हो चुका है तो इस प्रकरण में जो भी निर्णय होगा उससे प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) के हित प्रभावित होंगे। अपीलांत ने इस प्रकरण में प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) को पक्षकार नहीं बनाया है। चूंकि अपील में पक्षकार बनाने के लिए आदेश 41 नियम 20 सीपीसी में प्रावधान है इसलिए प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आदेश 41 नियम 20 सीपीसी में पढ़ा जाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 09.11.2020 को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पर धाराओं का गलत अंकन हो जाने से प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र के तथ्यों को पढ़ा जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) को पक्षकार बनाया जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाकर इस प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1999 पेज 214, आरएलडब्ल्यू 2004 पेज 705 की ओर ध्यान दिलाया।
5. अधिवक्ता अपीलांत ने उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) को पक्षकार नहीं था। आदेश 41 नियम 20 सीपीसी के अनुसार जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार हो उसे ही जैर प्रकरण में पक्षकार बनाया जा सकता है। इस प्रकरण में राजस्थान सरकार पक्षकार है तथा अपीलांत की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। मौका पर अपीलांत ही काबिज होकर काशत करता आ रहा है। प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) का मौका पर कब्जा ही नहीं है। हस्तगत प्रकरण बहस पर है तथा बहस की स्थिति में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को अपना पक्ष रखने के लिए पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी धारा अंकन कर प्रस्तुत किया है व सुनवाई के दौरान निवेदन किया है कि इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को पढ़ा जाकर इसे आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 पढ़ा जावे। आरआरसी 1998 पेज 492 के पैरा संख्या 5 के अनुसार प्रार्थना पत्र में यदि धारा का उल्लेख भी नहीं किया जावे तो यह कोई तकनीकी त्रुटि नहीं मानी जा सकती एवं गलत धारा का अंकन करने से उसके नोईयत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है व आरबीजे 2017 पेज 19 के पैरा संख्या 8 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह माना है कि किसी दावा अथवा प्रार्थना पत्र में किसी प्रावधान का गलत अंकन होने तथा प्रावधान का अंकन नहीं होने से अनुतोष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.),

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के पत्र में प्रश्नगत भूमि नगरपालिका पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण टी.सी. आवंटन खारिज किया जाकर उक्त रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ को सौंप दिया है कि फोटो प्रति अधिवक्ता प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) द्वारा प्रस्तुत की गई है। चूंकि न्याय का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। जहां तक अधिवक्ता अपीलांत का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) पक्षकार नहीं थी इस संबंध में न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित टी.सी. खारिज के निर्णय की दिनांक को प्रश्नगत भूमि में नगरपालिका का कोई हित नहीं था क्योंकि टी.सी. खारिज होने के बाद भूमि आराजी राज दर्ज होने के पश्चात नगरपालिका सूरतगढ़ को हस्तांतरित होना प्रकट होता है। आरआरटी 2014 (2) पेज 1253 अनुसार वाद के किसी भी प्रकम पर न्यायालय किसी भी व्यक्ति को पक्षकार बना सकता है व आरआरडी 1994 पेज 545 अनुसार “ The court has the power to add parties to meet the end of justice even without an application.” अतः न्यायोचित निर्णय हेतु न्यायोहित में प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) को उसका पक्ष रखने के लिए इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना हम उचित समझते हैं। अतः नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 28.02.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व दिनांक 09.11.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) को प्रकरण में पक्षकार (रेस्पोंडेंट) बनाया जाने और इन्हे पक्षकार के रूप में लाल स्याही से अपील मीमो में अंकन किया जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

6. तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2006 पारित कर अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 40 वर्ष पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त टी.सी. आवंटन समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा अपीलांट का कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की सीमा परिधि से 2 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी हैं। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकेशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्ल्यू 2016 (1) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया तथा अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 03.06.2006 खारिज किया करने बाबत निवेदन किया।
7. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पैराफेरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।
8. नगरपालिका, सूरतगढ़ के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में वर्णित रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित हो चुका है व नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा इस रकबा में आवादी का

अधिकृत जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ जिला नगरपालिका

विस्तार किया गया है व सड़के बनवाई गई है। अपीलांट का उक्त रकबा सूरतगढ़ पैराफेरी क्षेत्र में आने से टी.सी. आवंटन खारिज होने के बाद जब रकबा नगरपालिका को हस्तांतरण हो चुका है तो अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का कोई हित नहीं है ना ही अपीलांट का कब्जा है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे। कानूनी नजीर आरआरडी 1992 पेज 431, आरबीजे 1999 पेज 214, आरआरटी 2021 पेज 336, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 08.02.2006, कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 11.07.2005 की ओर ध्यान दिलाया।

9. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है। ऐसे निर्णय को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
10. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 03.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 442 की 5.060 है0 बारानी भूमि अपीलांट को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांट का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन व विधिविरुद्ध होने से त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 03.06.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० हरीतिमा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ सूरतगढ़ श्रीगंगानगर